

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र-योजनाओं में रखा जायेगा ।
 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुपानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि संस्था द्वारा विद्यालय का निजी भवन मानकानुसंग बनवाकर एक वर्ष के भीतर शासन को अथवा कराया जायेगा । विद्यालय में निबमानुसार वेतन का भुगतान कराया जायेगा तथा की पीछे एक योजना बधातमय लागू कर सुचित की जायेगी ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घुड़ या भ्रष्टता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय

। अशोक गांगुली ।
 उप सचिव ।

संख्या-डीएमओ/595111/15-7-161131/94तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अध्यक्ष भारतीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्ध, सेन्ट स्टीम मेरी बालिक स्कूल, डिफेंस कालोनी, इन्डस्ट्रियल आगरा ।

आज्ञा है,


 । अशोक गांगुली ।
 उप सचिव ।

प्रिय,

श्री अशोक मंगुजी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र अनुदान केन्द्र, प्रीति मिहार,
नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक 15 मार्च 1995

विषय:- सेन्ट स्टीन मैरी पब्लिक स्कूल, आगरा को सीओसीएसओई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट स्टीन मैरी पब्लिक स्कूल, आगरा को सीओसीएसओई नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

1. विद्यालय को पंजीकृत तोताहटी का सम्बन्ध इस पर मवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालिता विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित कुंठ से अधिक कुंठ नहीं भिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से /बैतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैतिक पर दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वार्मिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिष्टोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अगातकीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।